

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

सं० के-20014/6/2002-डीडी।ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 7th जून, 2005

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न उपयोगों के लिए प्रभार्य पूर्व-निर्धारित दरें एतद्वारा इस प्रकार अधिसूचित करती है :-
भूमि श्रेणी

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | सीजीएचएस के लिए भूमि | वर्ष 2005-06 के लिए नरेला के लिए
अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्गमी०)
5213.00 रुपये ✓ |
| 2. | वैकल्पिक प्लॉट | 4397.00 रुपये ✓
(आंतरिक विकास की लागत और उपयोग तथा अधिभोग प्रभार सहित) |
| 3. | डीडीए आवास योजना
(क) एसएफएस
(ख) एमआईजी
(ग) एलआईजी
(घ) ईडब्ल्यूएस | 5213.00 रुपये ✓
4344.00 रुपये ✓
2607.00 रुपये ✓
1738.00 रुपये ✓
(फ्लैटों की विक्री कीमत निकालते समय आंतरिक विकास की लागत जोड़ी जानी है) |
| 4. | झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां
(पुनर्वास) | 20.50 लाख रुपये प्रति एकड ✓

(आंतरिक विकास की लागत को छोड़कर जो दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा वहन की जाएगी । |

ये दरें वित्त वर्ष 2005-06 के लिए लागू हैं ।

एस.एन. गुप्ता

(एस.एन. गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, सिंग रोड, नई दिल्ली -110064